आदेश पत्रक नकुल राणा वगैरह.....................प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष झबिया देवी वगैरह.....................द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० 28/07/21 से 30/09/2021 तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 136 **सन् 2021**

धारा 144 **द०प्र०स०**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/07/21	आवेदक नकुल राणा पिता सेवक राणा सा० गजोडीह थाना- बिरनी जिला- गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा - गजोडीह, खाता सं० 27/53, प्लॉट सं० 542, रकबा - 1.50ए० चौहद्दी उ० - बोधी महतो, द० - जीवन सिंघ, पू० - अकलु महतो, प० - रास्ता में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बिरनी से मांगें। अभिलेख दिनांक 12/08/21 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित [signature]	2-54 28/07/21

11/08/21 अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी बिसी के ज्ञापांक 1772/21 दिनांक 02.08.21 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दि० 26/08/21 को कारणपृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनु० पदा० [signature] 11/08
खोरी - महुआ

अनु० पदा० [signature] 11/08
खोरी - महुआ

1	2	3
26/08/21	अभिलेख प्रस्तुत। उभय-पक्ष उपस्थित। To 9/09/21 [signature] 26/08	
09/09/21	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उप०। अभिलेख 23/09/21 को रखें अनु० दण्डा०	
23/09/21	उभय पक्ष वकालतनामा उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। अभिलेख 30/09/21 को रखें। अनु० दण्डा०	
30/09/21	उभय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल/ प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि उन्हें वर्ष 1956 में भूदान यज्ञ समिति के द्वारा प्राप्त है/ उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष	

1	2	3
	परिवार सामूहिक रूप से दखलकार हैं तथा वर्ष 1976-77 तक लगान रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में भूदान प्रमाण-पत्र के सत्यापित प्रति की छाया प्रति, ऑन लाईन पंजी-II की प्रति, दाखिल किया गया है।	
	द्वितीय पक्ष के अनुसार अनुमंडल कार्यालय, गिरिडीह के बन्दोबस्ती वाद सं0-14/04-05 के द्वारा मगीया देवी, लखिया देवी को प्रश्नगत भूमि हासिल है। उक्त जमीन की जमाबंदी अंचल कार्यालय में कायम है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में भू-बन्दोबस्ती परवाना की छाया प्रति दाखिल किया गया है।	
	उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं एविडेन्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अलग-अलग प्रकार के पट्टे के आधार पर दावा कर रहे हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ खाते की है जो 'Bihar Land Reforms Act की प्रावधानों के तहत स्वामित्व सरकार में निहित है। भूस्वामी द्वारा ऐसे भूमि के दान के सम्बन्ध में	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954 की धारा 12 में प्रावधान किया गया है/. यदि भूस्वामी जमीन का मुआवजा BLR Act के तहत नहीं प्राप्त करते हैं वे ही GM भूमि का दान कर सकते हैं/ भूस्वामी महेश्वरी प्रसाद नारायण देव के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और न ही राजस्व पदाधिकारी द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया है/ अतः प्रथम द्रष्टया भूदान पर्चा ~~संदेहास्पद~~ संदेहास्पद प्रतीत होता है/ उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ/ यह आदेश नोटिस निर्गत की तिथि से दो महीने के लिये प्रभावी रहेगा/. वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। [illegible signature] 3/12/21	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.22 15:30:24 +05:30
Location: 192.168.43.238